अध्याय 4
उपसंहार

4700 मे वा (स्वयं की परियोजना) के लक्ष्य में से 11वीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धि 17 माह के विलम्ब के साथ केवल 500 मे वा (10.6 प्रतिशत) थी। शेष 4200 मे वा में से 21 से 37 माह के विलम्ब से अप्रैल 2012 से मार्च 2014 तक के दौरान केवल 2000 मे वा जोडे गए थे जबकि शेष 2200 मे वा अभी भी निर्माणधीन (मार्च 2014) था जो निर्धारित सीओडी से 34 से 39 माह तक पीछे चल रहे थे।

निगम से अपनी तीन ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के संबंध में उनका निर्माण आरंभ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान नहीं किया था जिसने ऐसी परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा सम्बद्ध सुविधाओं/पैकेजो (यथा सीएचपी, पीडब्ल्यूएस) की समापन लक्ष्य अनुसूची परियोजना समापन लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित नहीं की गई थी जिसके लिये कुछ यूनिटें एमपीपीज के समापन के बाद सीओडी प्राप्त नहीं कर सकी।

अपेक्षित कोयला समय पर उचित प्रकार सम्बन्द्ध और/अथवा प्रबन्ध नहीं किया गया था। आवश्यक कोयला का परिवहन करने के लिए रेल अवंसरचना परियोजनाओं की समापन अनुसूची के अनुरूप विकसित नहीं की गई थीं और वर्तमान सुविधाओं की अड़चने उचित प्रकार दूर नहीं की गई थीं। इस प्रकार कायेला की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

राख निपटान की सुविधाएं उचित प्रकार बनाई नहीं गई थीं परिणामस्वरूप रिक्तीकरण समस्याएं हुई तथा पर्यावरण निम्नीकरण हुआ।

निर्माण स्तर पर कार्य निर्माण का प्रगति के मॉनिटिरिंग करने के लिए कोई स्वतन्त्र अधिकारी नहीं था बल्कि मॉनिटिरिंग कार्य निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारी द्वारा किए गया था जो परियोजनाओं के निर्माण में प्रभावी मानीटरिंग की कमी दर्शाता हैं।

11वीं योजना परियोजनाओं की ₹ 7311 करोड़ (मूल अनुमोदित लागत का 37 प्रतिशत) की अधिक लागत आई थी जिनमें से 3078 करोड़ परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण था। इसके अलावा निगम ने इसके अलावा निगम ने परियोजनाओं के समापन में विलम्ब के कारण इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित करने का अवसर खो दिया। में परियोजनाओं के अवसर खो दिया।

11वीं योजना परियोजनाओं के संबंध मे कुल 4700 मे वा क्षमता वृद्धि मे से 1700 मे वा विद्युत हुई थीं क्योंकि निगम ग्राहकों को उसे आंवटित करने में समर्थ नहीं था।

इस प्रकार 11 वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निगम की विफलता ने उस सीमा तक भारत सरकार की राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य के पूरा नहीं किया था।

यह उल्लेखित है कि प्रबन्धन ने निगम द्वारा 10 वीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों (देखे पैरा 2.1) पर कोई प्रभावी उपाय नहीं किए थे क्योंकि समान स्वरूप की कमियॉ 11 वीं योजना परियोजनाओं के निर्माण में भी हुई थीं।

नई दिल्ली
दिनांक 17 जून 2015

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 19 जून 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक